संख्या :– IT/2026/0 /IV(3)/2026–03(15 वि0आ0) 2026

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3 **देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च, 2026**

विषय–नगर पालिका परिषद, कालाढूंगी क्षेत्रान्तर्गत स्ट्रीट लाईट की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6069/15/श0वि0नि0/ (पं0वि0आ0–लाईट)/2022, दिनांक 10.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, कालाढूंगी क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु अधीक्षण अभियंता, 5वां वि0/या0 वृत्त लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा परीक्षणोंपरांत संस्तुत लागत रू0 149.29 लाख (रू0 एक करोड उनपचास लाख उनतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 52.25150 लाख (रू0 बावन लाख पच्चीस हजार एक सौ पचास मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न वर्णित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) विषयगत कार्य हेतु स्वीकृत जा रही उक्त धनराशि आहरित कर योजनान्तर्गत संबधित नगर निकाय को ईलेक्ट्रानिक माध्यम/यथा प्रक्रिया अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) उपरोक्त स्वीकृति कार्य यदि किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। तत्संबंध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(iii) उक्त स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(iv) विषयगत कार्य हेतु मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना दिशा–निर्देश–2025 में प्रदत्त निर्देशों/शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अत्यंत अल्प समय अवशेष रह गया है। अतः विषयगत कार्य हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का उपयोग, निविदा आदि प्रक्रियायें चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाय।

(v) विषयगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लेंगे अर्थात किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर Parking of Fund नही किया जायेगा तथा आंगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निकाय का होगा।

(vi) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन मे यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय अर्थात Parking of Fund नहीं किया जायेगा।

(vii) कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समय–समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य की

File No. UD3-1/1.6/30/2026-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 100699)
Generated from eOffice by SURAJ GUSAIN, RO-Urban Development Section 3-SG, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 31/03/2026 11:25 pm

समाप्ति के फोटोग्राफ कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे।

(viii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितना मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) कार्यो की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यो की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा अभियंता पूर्णरूप से उत्तदायी होंगे।

(x) स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि के अंतर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आंगणन पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(xi) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करे।

(xii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टयों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(xiii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025(यथासंशोधित) तथा मितव्ययता के सबंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xiv) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreetment में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 05 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

(xv) कार्य स्थल पर एक बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर स्वीकृत कार्य का नाम, स्वीकृति कार्य का वर्ष, कार्य की स्वीकृत लागत, कार्य प्रारम्भ करने तिथि, कार्य पूर्ण करने की तिथि, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम इत्यादि का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(xvi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

(xvii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(xviii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 तथा शासनादेश संख्या–I/287506/ई–79713/09(150)–2019 /XXVII(1) /2025, दिनांक–31.03.2025 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

(xix) कार्य विलम्ब से कराने से निर्माण कार्य की दरों में वृद्धि होने की स्थिति में बढ़ी हुई धनराशि का वहन संबंधित निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(xx) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक–31.03.2026 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबधं में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नही की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

(xxi) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E–79713/09(150)–2019/XXVII(1)/2025, दिनांक–31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

(xxii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, निकाय का अंश व्यय होने संबंधी प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और

तदनुसार अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी। तत्संबंध में प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी को होगा और तदोंपरांत शहरी विकास निदेशालय के संबंधित अधिकारी का होगा।

(xxiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा।

(xxiv) जिन स्थलों पर स्ट्रीट लाईट की स्थापना की जान है, उन स्थानों पर उरेड़ा द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट अथवा अन्य किसी योजना से कार्य नहीं किया गया है और न ही प्रस्तावित है। दोहराव की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शहरी विकास विभाग का होगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–01–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अन्तर्गत मानक मद–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के कम्प्यूटर जनित संख्या–I/384299/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

4– स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत विशिष्ट आवंटन संख्या S26013000 दिनांक 31 मार्च, 2026 से आंवटित की जा रही है।

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 31-03-2026
23:21:14

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या– (1)/IV(3)/2026–03(15 वि0आ0) 2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कालाढूंगी।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
8. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. UD3-1/1.6/30/2026-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 100699)
Generated from eOffice by SURAJ GUSAIN, RO-Urban Development Section 3-SG, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 31/03/2026 11:25 pm

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Urban Development(S054)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या -013

आवंटन आई डी-S26030130082

आवंटन पत्र दिनांक-31-MAR-2026

लेखा शीर्षक	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
	051-निर्माण	04-नगरों का समेकित विकास
	01-मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	Voted

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	594714140	5225150	0	599939290
योग	594714140	5225150	0	599939290

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.52,25,150 (Rupees Fifty Two Lacs Twenty Five Thousand One Hundred Fifty Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER